

न्यायालय एफ0टी0एस0सी0/अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या: 48/2022
राज्य बनाम आरिफ

05.09.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार पर अभियुक्त आरिफ उपस्थित।
राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री विवेक
कुश उपस्थित।

पत्रावली आज बहस हेतु नियत है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री
तनवीर भारती की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। न्यायालय में कोई
आशुलिपिक नियुक्त नहीं है तथा तीन विचारण निर्णय हेतु सुरक्षित है, तदनुसार
अभियुक्त का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.09.2023 को पेश हो।

(मौहम्मद सुल्तान)
एफ.टी.एस.सी/अपर सत्र न्यायाधीश
रुड़की(हरिद्वार)